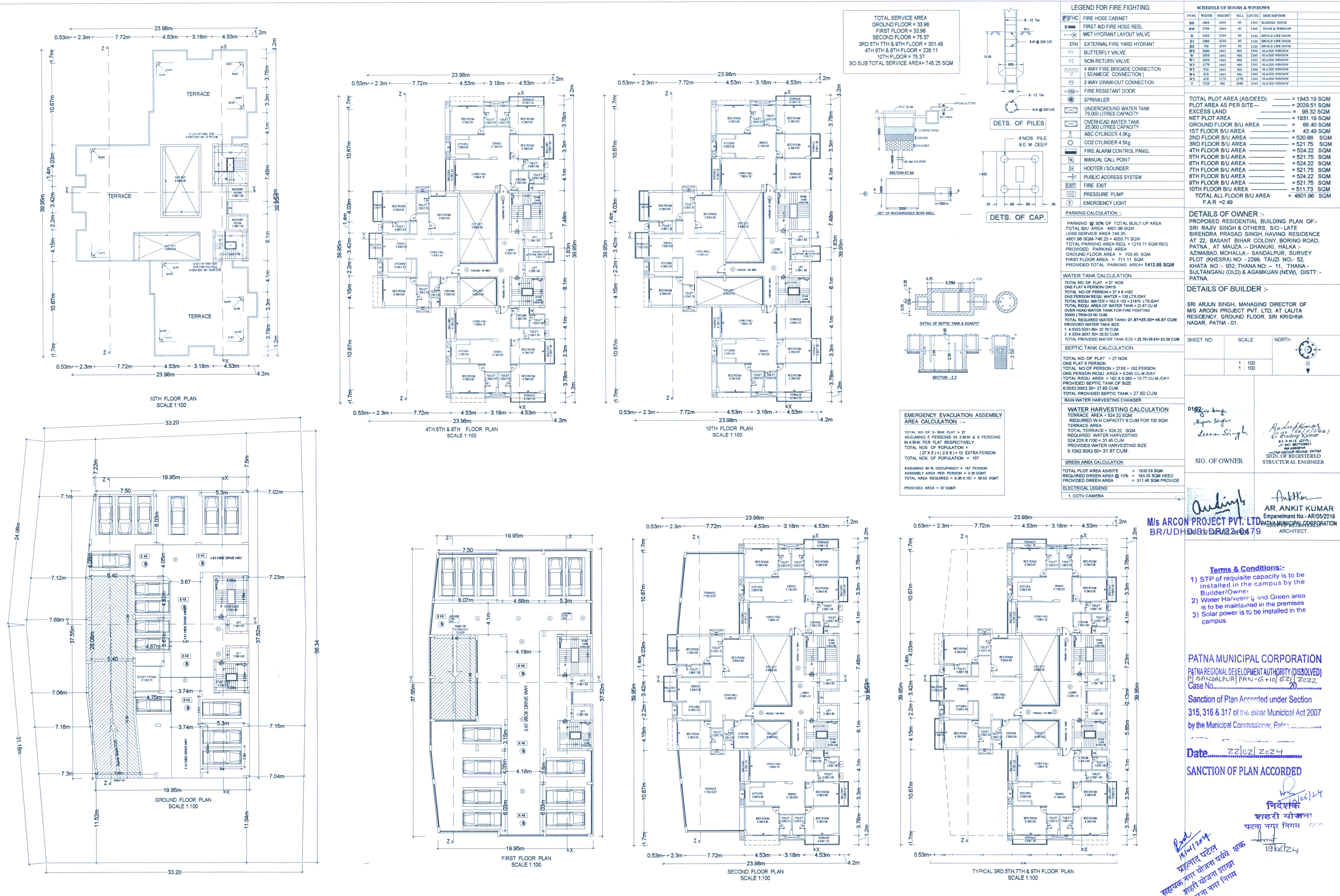


विबल्डर/प्रोमोटर्/भू-स्वामी/संबंधित वास्तुचिद्वि/अभिप्रेता को निर्देश दिया जाता है कि भवन के निर्माण तथा उपयोग में लाने के पूर्व आवसीय/ज्यवरारणिक कम्प्लेटर्स में सूक्ष्मा की दृष्टि से, तथै, पार्किंग प्रत्येक एक्सेलेंट टैंक, अन्य वाञ्छित महत्त्व, कैमरा का अधिष्ठापन करेगे अन्वया संबंधित एक्ट बाईरलॉजिंग के सुसंगत धाराओं के तहत कारवाई किया जायेगा।



विन्दर/प्रोमोटर/यू-स्वामी/संघटित वास्तुविद/अभियंता को निरेश दिया जाता है कि भवन के निर्माण तथा उपयोग को लाने के पूर्व आवासीय/व्यावसायिक कम्प्लेक्स में सुरक्षा की दृष्टि से, प्रवेश द्वार निकारा द्वार, सीढ़ी, लिफ्ट, पार्किंग प्रत्येक फ्लोर, रेल के वाहन की प्लेटफार्म, सिगरेट के राख, तथा अन्य वांछित महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा के साधन, C.C.T.V. कैमरा का अधिष्ठापन करेगे अन्यथा संघटित ए.ए.ए.वाई.लॉज के सुसंग्रह धाराओं के तहत कारवाई किया जायेगा।

